



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील अन्तर्गत धारा 413 संख्या- 464/2026

अवनीश कुमार

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : लवकुश कुमार शुक्ला

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

**न्यायालय संख्या- 46**

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय

**(माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा द्वारा पारित)**

1- यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10, आगरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 525 वर्ष 2016 (राज्य बनाम सतीश एवं अन्य) में पारित दिनांक 04.06.2026 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 76 वर्ष 2015, धारा 307/34, 504 एवं 506 भा.दं.सं., थाना-बरहन, जनपद-आगरा से उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा अभियुक्त/विपक्षी संख्या 2, 3, 4 एवं 5 को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

2- हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुश कुमार शुक्ला तथा राज्य/विपक्षी संख्या-1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

3- अभिलेख का परिशीलन किया।

4- अभिलेख से यह प्रकट होता है कि दिनांक 05.06.2015 को रात्रि 08:30 बजे एक घटना घटित होना अभिकथित है, जिसमें अजय कुमार नामक एक व्यक्ति के पेट में गोली लगने से चोट आना अभिकथित है। तदनुसार, घायल अजय कुमार के बड़े भाई अवनीश कुमार ने दिनांक 06.06.2015 की टंकित लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) थाना-बरहन, जनपद-आगरा में प्रस्तुत की। चूंकि अभियोजन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की कहानी लिखित रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, अतः आक्षेपित निर्णय में लिप्यंतरित लिखित रिपोर्ट को यहां नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वह व उसका छोटा भाई अजय कुमार पुत्र उदयपाल सिंह दूध का व्यापार करते हैं। वह रोजाना की तरह दिनांक 05.06.2016 को समय करीब 08:30 बजे शाम को ईसेपुर से दूध लेकर अपने गांव खुशालपुर वापस आ रहा था। रास्ते में उसके गांव के ही सतीश पुत्र छत्रपाल, सुरेश पुत्र पप्पू सिंह, मानपाल पुत्र श्रीपाल व राजबहादुर पुत्र नवलकिशोर, गांव के सतेन्द्र पुत्र छत्रपाल के साथ घात लगाये हुए रास्ते में बैठे थे कि जैसे ही उसका भाई अजय कुमार ईसेपुर मोड़ पर पहुंचा, उपरोक्त लोगों ने उसके भाई को रोककर घेर लिया और कहने लगे कि साले तुम बहुत पैसे वाले बनते हो, तुमने हमारे खिलाफ थाने में दिनांक 20.05.2015 को जो रिपोर्ट लिखाई है, उसे वापस ले लो। वादी के भाई के मना करने पर सतेन्द्र ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, साले को गोली मारकर खत्म कर दो, मुकदमा अपने आप ही खत्म हो जायेगा। इतना सुनते ही सुरेश पुत्र पप्पू सिंह ने अपने हाथ में लिये हुए तमंचे से वादी के भाई के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जो वादी के भाई के पेट में लगा। उसी समय वादी भी ग्राम हसन जहानपुर से दूध लेकर वापस आ रहा था। उसने उक्त घटना को अपनी आंखों से देखा व अपने भाई को बचाया। उपरोक्त लोगों द्वारा वादी के ऊपर भी जान से मारने की नीयत से कई फायर किये गये। उसने किसी तरह अपनी जान बचायी और घटना की सूचना तुरन्त अपने परिवारीजनों को एवं पुलिस को 100 नम्बर पर फोन से दी। परिवारीजन तुरन्त बुलेरो गाड़ी लेकर घटनास्थल पर आ गये तथा थाना बरहन व एत्मादपुर की पुलिस भी मौके पर आ गयी, गम्भीर हालत में वादी अजय कुमार को लेकर एस०एन० अस्पताल, आगरा आया, जहां वादी के भाई की हालत ज्यादा खराब होने की वजह उसे उसने जी०जी० नर्सिंग होम, संजय पैलेस, आगरा में भर्ती कराया। जाते समय उपरोक्त लोग यह धमकी दे गये कि साले तेरे भाई को तो आज खत्म कर दिया है, अगर इस घटना की रिपोर्ट तूने लिखाई, तो तुझे भी अबकी बार जान से मार देंगे। फायर की आवाज सुनकर अन्य राहगीर भी मौके पर आ गये थे, वादी ने मोटरसाइकिल की रोशनी में उपरोक्त लोगों को अच्छी तरह पहचाना है। सूचना अपने भाई के इलाज में व्यस्त होने की वजह से देरी से दे रहा है। उसकी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गई।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5- उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर, विष्णु दत्त शर्मा, जो थाना-बरहन, जनपद-आगरा में कांस्टेबल क्लर्क के पद पर तैनात थे, ने उसे उक्त थाने की जनरल डायरी में दिनांक 06.06.2015 को 19:30 बजे जी.डी. प्रविष्टि संख्या-19 (प्रदर्श क-9) के रूप में दर्ज किया। उपर्युक्त के आधार पर उक्त कांस्टेबल क्लर्क द्वारा दिनांक 06.06.2015 की चेक एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-8) तैयार की गई और इसे मुकदमा अपराध संख्या 76 वर्ष 2015, धारा 307, 504 एवं 506 भा.दं.सं., थाना-बरहन, जनपद-आगरा के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त एफ.आई.आर. में सतीश, सुरेश, मनपाल एवं राज बहादुर नामक चार व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया।

6- उपर्युक्त एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात, पीडब्लू-5 निरीक्षक महतम सिंह, जो थाना-बरहन, जनपद-आगरा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे, को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया। तदनुसार, पीडब्लू-5 ने सर्वप्रथम लिखित रिपोर्ट, चेक एफ.आई.आर. एवं चिकित्सीय रिपोर्ट की प्रतिलिपि केस डायरी में अंकित करने की औपचारिकता पूर्ण की। इसके पश्चात, उन्होंने जी.डी. एवं एफ.आई.आर. के लेखक विष्णु दत्त शर्मा तथा रोहित कुमार के बयान दर्ज किए। इसके पश्चात वे घटनास्थल पर गए। उन्होंने प्रथम सूचनाकर्ता पीडब्लू-1, घायल पीडब्लू-2 एवं अन्य साक्षियों के भी बयान दर्ज किए। तत्पश्चात, प्रथम सूचनाकर्ता पीडब्लू-1 अवनीश कुमार की निशानदेही पर उन्होंने घटनास्थल का स्थल-नक्शा (प्रदर्श क-6) तैयार किया। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, विवेचना अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को जन्म देने वाली घटना सिद्ध होती है तथा प्रश्नगत अपराध में नामजद अभियुक्तों की प्रथमदृष्टया संलिप्तता स्पष्ट है। अतः उन्होंने आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने की राय दी। परिणामस्वरूप, पीडब्लू-5 ने दिनांक 14.08.2015 का आरोप-पत्र/पुलिस रिपोर्ट संख्या 107 वर्ष 2015 प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307/34, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

7- उपर्युक्त आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर संज्ञान लिया गया। तथापि, चूंकि अभिकथित अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट ने प्रकरण को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। परिणामस्वरूप, सत्र परीक्षण संख्या 525 वर्ष 2016 (राज्य बनाम सतीश एवं अन्य) अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10, आगरा के न्यायालय में पंजीकृत हुआ।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



8- सुपुर्दगी के पश्चात, संबंधित सत्र न्यायाधीश ने विचारण की कार्यवाही प्रारंभ की। तदनुसार, उन्होंने दिनांक 30.11.2016 के आरोप विरचित किए जाने संबंधी आदेश के माध्यम से अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307/34, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित किए।

9- आरोप-पत्रित अभियुक्तों ने उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताया। परिणामस्वरूप, विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

10- अभियोजन ने विरचित आरोपों को सिद्ध करने के अपने दायित्व के निर्वहन में निम्नलिखित अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत किया:-

(i)- पीडब्लू-1, अवनीश कुमार (प्रथम सूचनाकर्ता एवं घायल के बड़े भाई)

(ii)- पीडब्लू-2, अजय (घायल प्रत्यक्षदर्शी)

(iii)- पीडब्लू-3, महेश (साक्षी)

(iv)- पीडब्लू-4, डॉ. दिनेश चंद्र गोयल

(v)- पीडब्लू-5, उपनिरीक्षक महतम सिंह (विवेचना अधिकारी)

(vi)- पीडब्लू-6, हेड कांस्टेबल राज कुमार सिंह

(vii)- पीडब्लू-7, डॉ. एस.पी. शर्मा

11- उपर्युक्त के अतिरिक्त, अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। सुविधा के लिए उन्हें निम्नवत् सारणीबद्ध किया गया है:-

**क्रम**  
**प्रदर्श** **दस्तावेज का विवरण**  
**संख्या**

1- प्रदर्श पीडब्लू-1 प्रथम सूचनाकर्ता अवनीश कुमार द्वारा प्रस्तुत दिनांक 06.06.2015 की क-1 टंकित लिखित रिपोर्ट, जिसे पीडब्लू-1 द्वारा सिद्ध किया गया।

2- प्रदर्श जी.जी. मेडिकल इंस्टीट्यूट, संजय प्लेस, आगरा का घायल अजय का बेड हेड क-2 टिकट, जिसे पीडब्लू-4 डॉ. दिनेश चंद्र गोयल द्वारा सिद्ध किया गया।



क्रम

प्रदर्श दस्तावेज का विवरण

संख्या

- 3- प्रदर्श पीडब्लू-4 डॉ. दिनेश चंद्र गोयल द्वारा तैयार घायल अजय की एक्स-रे रिपोर्ट, जिसे क-3 पीडब्लू-4 द्वारा सिद्ध किया गया।
- 4- प्रदर्श पीडब्लू-4 डॉ. दिनेश चंद्र गोयल द्वारा तैयार घायल अजय की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, क-4 जिसे पीडब्लू-4 द्वारा सिद्ध किया गया।
- 5- प्रदर्श पीडब्लू-4 डॉ. दिनेश चंद्र गोयल द्वारा तैयार घायल अजय के चिकित्सीय नुस्खे, क-5 जिन्हें पीडब्लू-4 द्वारा सिद्ध किया गया।
- 6- प्रदर्श पीडब्लू-5 निरीक्षक महतम सिंह, विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार घटनास्थल का क-6 स्थल-नक्शा, जिसे पीडब्लू-5 द्वारा सिद्ध किया गया।
- 7- दिनांक 14.08.2015 का आरोप-पत्र संख्या 107/16, जिसके द्वारा नामजद प्रदर्श अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307/34, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप-क-7 पत्र प्रस्तुत किया गया; इसे पीडब्लू-5 निरीक्षक महतम सिंह, विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार किया गया तथा पीडब्लू-5 द्वारा सिद्ध किया गया।
- 8- दिनांक 06.06.2015 को 12:30 बजे की चेक एफ.आई.आर., जिसे कांस्टेबल क्लर्क प्रदर्श विष्णु दत्त शर्मा द्वारा तैयार किया गया तथा पीडब्लू-6 हेड कांस्टेबल राज कुमार क-8 सिंह द्वारा सिद्ध किया गया।
- 9- दिनांक 06.06.2015 की जी.डी. की चालान प्रति, जिसे कांस्टेबल क्लर्क विष्णु दत्त प्रदर्श शर्मा द्वारा तैयार किया गया तथा पीडब्लू-6 हेड कांस्टेबल राज कुमार सिंह द्वारा क-9 सिद्ध किया गया।
- 10- घायल अजय कुमार की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट, जिसे पीडब्लू-7 डॉ. एस.पी. प्रदर्श शर्मा, जो एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी क-10 के पद पर तैनात थे, द्वारा तैयार किया गया तथा पीडब्लू-7 द्वारा सिद्ध किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

क्रम

प्रदर्श दस्तावेज का विवरण

संख्या

11- प्रदर्श घायल अजय कुमार की अनुपूरक चिकित्सीय रिपोर्ट, जिसे पीडब्लू-7 डॉ. एस.पी.

क-11 शर्मा द्वारा तैयार किया गया तथा पीडब्लू-7 द्वारा सिद्ध किया गया।

12- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात, दं.प्र.सं. की धारा 313 के आदेशानुसार घटना के संबंध में उनका पक्ष जानने के लिए सभी प्रतिकूल एवं अभियोगात्मक परिस्थितियां प्रश्न-उत्तर के रूप में अभियुक्तों के समक्ष रखी गईं। तथापि, उन्होंने एक-एक करके अपने समक्ष रखे गए सभी सुझावों से इनकार किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सामूहिक रूप से कहा कि अभियोजन की कहानी झूठी है। पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-5 एवं पीडब्लू-6 के बयान झूठे एवं गलत हैं। पीडब्लू-4 के बयान के संबंध में कहा गया कि डॉक्टर को कोई गोली नहीं मिली, शेष उसका बयान गलत है। पीडब्लू-8 के बयान को सही बताया गया। अभियुक्तों का आपराधिक अभियोजन दुश्मनी के कारण किया गया है। चूंकि प्रथम सूचनाकर्ता अभियुक्तों की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहता है, इसलिए वर्तमान झूठा अभियोजन प्रारंभ किया गया है। तथापि, सभी अभियुक्तों ने कहा कि प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा।

13- अभियुक्तों ने अपनी निर्दोषिता के प्रमाण में राकेश @ भोला को डीडब्लू-1 के रूप में प्रस्तुत किया।

14- साक्ष्य का चरण समाप्त होने के पश्चात, अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तों ने अजय कुमार को जान से मारने के आशय से घेरने के बाद उस पर गोली चलाई, जो उसके पेट में लगी। अभियुक्तों के विरुद्ध अभिकथित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोप सिद्ध होते हैं। अभियोजन साक्षियों ने अपने-अपने बयानों में प्रश्नगत अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता सिद्ध की है। अतः अभियुक्तों को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषसिद्ध कर दंडित किया जाए।

15- इसके विपरीत, अभियुक्तों की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा अभिकथित घटना कभी घटित ही नहीं हुई। प्रथम सूचनाकर्ता ने अभियुक्तों को झूठा फंसाने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीकृत कराया है। घटना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार ऐसा कोई तथ्य सिद्ध नहीं होता, जिसके आधार पर प्रश्नगत अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता स्थापित हो सके। अभियोजन के साक्ष्य के अनुसार अभियोजन की कहानी स्वयं सिद्ध नहीं होती है। अभियोजन अभियुक्तों का दोष संदेह से परे, बल्कि युक्तियुक्त संदेह से परे, सिद्ध करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त अपने विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किए जाने के अधिकारी हैं।

16- पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों के दृष्टिगत, अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के बीच विवादित मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य एवं सामग्री का परीक्षण किया। उपर्युक्त के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विचारण में विनिश्चय हेतु निम्नलिखित बिंदु उभरकर सामने आए:-

(i)- क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तों का दोष सिद्ध करने में अभियोजन सफल रहा है?

(ii)- क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार आरोपित धाराओं अर्थात् धारा 307/34, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के आवश्यक तत्व सिद्ध होते हैं?

(iii)- अभियुक्तों को किस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है?

17- उपर्युक्त विनिश्चय के बिंदुओं का उत्तर देने के लिए अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में अभियोजन के प्रकरण का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया। उक्त अभ्यास किए जाने के पश्चात, अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्मता से परीक्षण किया और उसके आधार पर इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा कि चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, मौखिक एवं दस्तावेजी चिकित्सीय साक्ष्य घटना के प्रत्यक्षदर्शी कथन का समर्थन/पुष्टि नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, तथ्य के अभियोजन साक्षी अर्थात् पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-3 विश्वास किए जाने योग्य नहीं हैं और इसलिए उनके बयान विश्वसनीय नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन उस मूल कहानी को ही स्थापित एवं सिद्ध करने में विफल रहा है, जिसे सिद्ध करने के लिए उसने प्रकरण प्रस्तुत किया था।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



18- उपर्युक्त के दृष्टिगत, अधीनस्थ न्यायालय ने अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10, आगरा द्वारा पारित दिनांक 04.06.2026 के निर्णय के माध्यम से अभियुक्तों को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

19- इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.06.2026 के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता अवनीश कुमार, जो प्रथम सूचनाकर्ता है, ने वर्तमान आपराधिक अपील के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया है।

20- अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुश कुमार शुक्ला ने आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए हमारे समक्ष तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि एवं तथ्य की दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतः यह न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तर्क का आधार यह है कि वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को जन्म देने वाली घटना में अजय नामक एक व्यक्ति घायल हुआ था। अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि घायल को सर्वप्रथम सरकारी अस्पताल अर्थात् एस.एन. मेडिकल कॉलेज में मज़रूबी चिट्ठी {चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध करने वाला पत्र} के आधार पर तथा पुलिस कांस्टेबल सी.पी. 2311 महेंद्र प्रकाश के साथ ले जाया गया था। घायल का प्रारंभिक उपचार एस.एन. मेडिकल कॉलेज में किया गया, जो प्रदर्श क-10 एवं प्रदर्श क-11 से सिद्ध होता है। इसके पश्चात, घायल का उपचार जी.जी. मेडिकल इंस्टीट्यूट, संजय प्लेस, आगरा में किया गया, जो तथ्य प्रदर्श क-2, प्रदर्श क-3, प्रदर्श क-4 एवं प्रदर्श क-5 से सिद्ध होता है। पीडब्लू-4 डॉ. दिनेश चंद्र गोयल के साक्ष्य में यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त के पेट में लगी चोटों का ऑपरेशन किया गया था, जिसके घाव के मुंह पर जलने की चोट थी। उपर्युक्त के आधार पर वह तर्क देंगे कि चिकित्सीय साक्ष्य घटना के प्रत्यक्षदर्शी कथन का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है। तथापि, उपर्युक्त के बावजूद, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त के दोष के संबंध में प्रथमदृष्टया निष्कर्ष की अनदेखी करते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य का अनावश्यक रूप से गहन विश्लेषण किया, अभियोजन के प्रकरण पर अविश्वास किया और अभियुक्तों को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अतः आक्षेपित निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के भार के विरुद्ध है और इसलिए अपास्त किए जाने योग्य है तथा अपील स्वीकार की जाए।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



21- इसके विपरीत, राज्य/विपक्षी संख्या-1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम श्री अमित सिंह ने वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया। आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का प्रतिवाद करते हुए विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम ने सर्वप्रथम तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य एवं सामग्री पर विचार किया है। अतः कोई भी प्रासंगिक सामग्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखी नहीं की गई है और न ही उसका गलत अर्थ निकाला गया है। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध किसी साक्ष्य अथवा सामग्री का गलत अर्थ निकाला है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, आक्षेपित निर्णय में कोई विकृतता नहीं मानी जा सकती।

22- विद्वान ए.जी.ए. ने आगे तर्क दिया कि पीडब्लू-2 अजय, जो घायल प्रत्यक्षदर्शी है, ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त सुरेश ने उसके पेट में गोली मारी, जबकि सह-अभियुक्त सतीश ने भी उस पर गोली चलाई, जो उसके कनपटी को छूते हुए निकल गई। तथापि, घायल पीडब्लू-2 अजय का परीक्षण एवं उपचार करने वाले दो चिकित्सकों अर्थात् पीडब्लू-4 एवं पीडब्लू-7 द्वारा उसके शरीर पर गोली लगने से हुई कोई चोट नहीं पाई गई। अतः घटना का प्रत्यक्षदर्शी कथन अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता है।

23- अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों के सहायक आपत्ति के रूप में, विद्वान ए.जी.ए. ने तर्क दिया कि जब अभियोजन का मूल प्रकरण ही सिद्ध नहीं होता है, तो इस परिकल्पना के आधार पर घटना को सिद्ध नहीं माना जा सकता कि घायल को किसी प्रकार की चोट लगी थी और उसके पश्चात् अभियुक्त प्रश्नगत अपराध कारित करने के दोषी हैं।

24- उपर्युक्त के अतिरिक्त, विद्वान ए.जी.ए. ने आगे तर्क दिया कि चूंकि स्वयं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार अभियोजन का मूल प्रकरण सिद्ध नहीं होता है, इसलिए धारा 504 एवं 506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप भी ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएंगे।

25- उपर्युक्त तर्कों के आधार पर विद्वान ए.जी.ए. ने पुरजोर ढंग से तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय विधि अथवा तथ्य की किसी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष एकमात्र तार्किक निष्कर्ष है, जिस पर पहुंचा जा सकता था। अतः वर्तमान अपील में

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वर्तमान अपील इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है।

26- हमने परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है।

27- अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा वर्तमान अपील के पक्ष एवं विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने से पूर्व, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारणों तथा अभियोजन के विरुद्ध उभरकर सामने आई प्रतिकूल परिस्थितियों, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने नोट किया है, का उल्लेख करना उचित होगा:-

(i)- एफ.आई.आर. 4 घंटे के विलंब से दर्ज की गई थी। तथापि, एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुए विलंब के कारण अभियोजन का प्रकरण विफल नहीं होता है, क्योंकि एफ.आई.आर. दर्ज करने में विलंब हुआ अथवा नहीं हुआ, केवल इस आधार पर कोई अंतिम राय नहीं बनाई जा सकती है।

(ii)- प्रत्येक आरोपित धारा के सभी आवश्यक तत्वों को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है।

(iii)- अभियोजन ने अभियुक्तों का दोष सिद्ध करने के लिए तथ्य के तीन अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत किया। पीडब्लू-1 अवनीश कुमार, जो प्रथम सूचनाकर्ता, मृतक का बड़ा भाई तथा प्रत्यक्षदर्शी है। पीडब्लू-2 अजय, घायल प्रत्यक्षदर्शी तथा पीडब्लू-3 तथ्य का औपचारिक साक्षी है, किंतु घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

(iv)- पीडब्लू-1 एवं पीडब्लू-2 के बयानों में घर में मोटरसाइकिलों की संख्या, घायल पीडब्लू-2 द्वारा कथित घटना घटित होने वाले स्थान तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त परिवहन के साधन, घटना के समय एवं घटनास्थल पर प्रथम सूचनाकर्ता पीडब्लू-1 के पहुंचने तथा घटना के तरीके के संबंध में गंभीर असंगतियां एवं विरोधाभास हैं।

(v)- घटना के समय एवं घटनास्थल पर प्रथम सूचनाकर्ता पीडब्लू-1 की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है, क्योंकि घायल पीडब्लू-2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप से कहा है कि पीडब्लू-1 घटना के 3-4 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचा था।

(vi)- पीडब्लू-1 एवं पीडब्लू-2 घर में मोटरसाइकिलों की संख्या के संबंध में असंगत हैं। अतः घटना के समय घायल मोटरसाइकिल चला रहा था अथवा नहीं, यह तथ्य स्वयं अभियोजन साक्ष्य से निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं होता है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



(vii)- पीडब्लू-3 घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। इस साक्षी ने घटना घटित होने के पश्चात घटनास्थल के दृश्य के संबंध में बयान दिया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने अभियुक्तों को पहचान लिया था। तथापि, उसने यह भी कहा है कि उसने घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर दो मोटरसाइकिलें देखी थीं, किंतु वह उन पर सवार चालक एवं पीछे बैठे यात्रियों की पहचान नहीं कर सका।

(vii)- पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-3 के बयानों के अनुसार यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच दुश्मनी है। अभियुक्त सुरेश द्वारा पीडब्लू-1 एवं पीडब्लू-2 के विरुद्ध एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी, जिसमें उक्त प्रकरण के अभियुक्त अर्थात् पीडब्लू-1 एवं पीडब्लू-2 को 11वें ए.सी.जे.एम. द्वारा जमानत प्रदान की गई थी। अतः अभियुक्तों के विरुद्ध झूठे अभियोजन की प्रबल संभावना है।

(viii)- जबकि पीडब्लू-4 डॉ. दिनेश चंद्र गोयल ने राय व्यक्त की है कि घाव के आसपास कालापन था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि घाव आग्नेयास्त्र से लगी चोट है। तथापि, कोई गोली नहीं मिली, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि चोट गोली लगने से हुई थी। तथापि, पीडब्लू-7 डॉ. एस.पी. शर्मा ने कहा है कि चोटों को पर्यवेक्षण में रखा गया था। उक्त चोटें साधारण चोटें थीं और आग्नेयास्त्र से लगी चोटें नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, ये चोटें कठोर एवं कुंद वस्तु अथवा कुंद हथियार से कारित हो सकती थीं। तथापि, उन्होंने कहा है कि वह निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते कि घायल को लगी चोटें आग्नेयास्त्र अथवा पटाखे (फुलझड़ी) से कारित हुई थीं। केवल वही डॉक्टर, जिसने घावों की सफाई की थी, यह पहचान सकता है कि चोट गोली लगने से हुई थी अथवा नहीं।

(ix)- दोनों चिकित्सकों, पीडब्लू-4 एवं पीडब्लू-7, ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने-अपने बयानों में कहा है कि घायल अजय पीडब्लू-2 के शरीर पर आग्नेयास्त्र से लगी कोई चोट नहीं पाई गई।

(x)- दस्तावेजी चिकित्सीय साक्ष्य अर्थात् प्रदर्श क-2, प्रदर्श क-3, प्रदर्श क-4, प्रदर्श क-5, प्रदर्श क-10 एवं प्रदर्श क-11 से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि घायल अजय पीडब्लू-2 को गोली लगने से कोई चोट आई थी।

28- वर्तमान अपील की सुनवाई के समय हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता के संज्ञान में उपर्युक्त विसंगतियां विशेष रूप से लाईं। हमने उनसे यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



कि उपर्युक्त विसंगतियों के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर आक्षेपित निर्णय में किस प्रकार हस्तक्षेप किया जा सकता है। तथापि, अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व में प्रस्तुत किए गए तर्कों को ही दोहराते हुए हमें प्रभावित करने का आधे-अधूरे मन से प्रयास किया।

29- ऐसा हो अथवा न हो, अंतिम तथ्य न्यायालय होने के नाते, हमें आक्षेपित निर्णय में विकृतता का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह देखना है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का परीक्षण किया है और क्या इस प्रकार किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष तार्किक निष्कर्ष है। अतः हमने स्वयं अभिलेख का परीक्षण एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया है। वर्तमान अपील में हमारे विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है:-

क्या अधीनस्थ न्यायालय ने घायल प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-2 के बयान का सही रूप से मूल्यांकन किया है?

30- उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व, उच्चतम न्यायालय द्वारा **मंजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 632** के प्रकरण में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें न्यायालय ने टिप्पणी की है कि घायल प्रत्यक्षदर्शी के बयान का साक्ष्यात्मक मूल्य सामान्य साक्षी की अपेक्षा अधिक होता है। उसके बयान को केवल बाध्यकारी आधारों पर ही अस्वीकार किया जा सकता है। अतः इस न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अभिलेख पर ऐसे बाध्यकारी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके आधार पर पीडब्लू-2 के बयान को अस्वीकार किया जा सके।

31- अतः हमने घायल प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-2 अजय के बयान का सावधानी, सतर्कता एवं सूक्ष्मता के साथ परीक्षण किया है। पीडब्लू-2 अजय ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने बयान में मुख्य परीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि दो अभियुक्तों ने दो गोलियां चलाईं। अभियुक्त सुरेश द्वारा चलाई गई गोली उसके पेट में लगी, जबकि सह-अभियुक्त सतीश द्वारा चलाई गई गोली उसकी कनपटी पर लगी। तथापि, घायल अजय का उपचार करने वाले चिकित्सक (पीडब्लू-7) ने उसके शरीर पर आग्नेयास्त्र से लगी कोई चोट नहीं पाई। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि घायल को गोली लगने से कोई चोट नहीं आई थी। इसके विपरीत, पीडब्लू-7 डॉ. एस.पी. शर्मा ने राय व्यक्त की है कि घायल को आई चोटें कठोर एवं कुंद वस्तु अथवा कुंद हथियार से कारित हो

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



सकती थीं। उन्होंने यह भी संभावना व्यक्त की है कि चोट फुलझड़ी अर्थात् पटाखे से लगी हो सकती है। तथापि, चोट की वास्तविक प्रकृति वही डॉक्टर बता सकता है, जिसने घावों की सफाई की थी। इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियोजन का यह मूल प्रकरण कि घायल अजय पीडब्लू-2 को गोली लगने से चोटें आई थीं, अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट/समर्थित नहीं होता है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, घायल अजय (पीडब्लू-2) की मृत्यु कारित करने के अभियुक्तों के आशय का निर्धारण करने का प्रश्न भी इस न्यायालय के समक्ष उत्पन्न नहीं होता है। हमने यह परीक्षण इस सिद्धांत के कारण किया है कि धारा 307 भा.दं.सं. के लागू होने का निर्धारण चोट से नहीं होता, बल्कि मृत्यु कारित करने का आशय निर्णायक तत्व है। तथापि, इस नियम का एक परिणाम यह भी है कि अभियुक्त का मृत्यु कारित करने का आशय अभियुक्त की तदनुसूचित कार्रवाई में परिलक्षित होना चाहिए।

32- एक प्रासंगिक टिप्पणी के रूप में, हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में अभियोजन तभी सफल हो सकता है, जब यह स्थापित हो जाए कि अभियोजन के तथ्य साक्षी विश्वसनीय हैं और इसलिए भरोसा किए जाने योग्य हैं। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए तथ्य के तीन अभियोजन साक्षियों, अर्थात् पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-3 के बयानों पर भरोसा किया। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन तीनों अभियोजन साक्षियों के बयानों में उभरने वाले अंतर्निहित विरोधाभासों, असंगतियों एवं अतिशयोक्तियों के कारण न तो वे विश्वसनीय हैं और न ही उनके बयानों को स्वीकार किया जा सकता है।

33- उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि न तो अभियोजन के तथ्य साक्षी विश्वसनीय एवं भरोसेमंद हैं और इसलिए उनके बयान विश्वास किए जाने योग्य नहीं हैं। अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक/दस्तावेजी चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करता है। अतः अभियोजन उस मूल कहानी को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है, जिसे सिद्ध करने के लिए उसने प्रकरण प्रस्तुत किया था। परिणामस्वरूप, यह नहीं कहा जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अवैध, विकृत अथवा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के भार के विरुद्ध है।

34- परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील विफल होती है और खारिज किए जाने योग्य है।

35- तदनुसार, इसे **खारिज** किया जाता है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



दिनांक: 05.08.2026

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय)

(न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा)

विनय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!